रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 907] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937
No. 907] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. 5/2015–2020

विषय : खांड के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम वापिस लेना।

का.आ.1164(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के निम्नलिखित प्रावधानों को संशोधित करती है:

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 4.25 में निम्नलिखित उप पैरा (ग) जोड़ा जाता है:

"(ग) खांड के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम उपलब्ध नहीं होगी।"

2. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के तहत "खांड" का आयात तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है।

[फा.सं. 01/94/180/एए–शुगर/एएम 09/पीसी–4]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

No. 5/2015-20

Sub: Withdrawal of Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme for import of raw Sugar.

S.O.1164(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby amends the following provisions of FTP 2015-20 :

The following sub para (c) is inserted in Para 4.25 of FTP 2015-20

"(c) Duty Free Import Authorisation Scheme shall not be available for import of raw sugar."

2. **Effect of this Notification:**

Import of "raw sugar" under Duty Free Import Authorisation (DFIA) scheme is withdrawn with immediate effect.

[F. No. 01/94/180/AA-Sugar/AM 09/PC-4]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.